इकाई 18 बैंकिंग अनुवाद–I

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 बैंकिंग व्यवस्था : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

18.3 वाणिज्य–व्यापार में बैंकों की भूमिका

18.4 बैंकों की श्रेणियाँ और प्रशासन व्यवस्था

18.4.1 बैंकों की श्रेणियाँ

18.4.2 बैंकों की प्रशासन व्यवस्था

18.5 बैंकिंग साहित्य के प्रकार

18.6 बैंकों में हिंदी प्रयोग और अनुवाद की आवश्यकता

18.7 बैंकिंग साहित्य का भाषागत वैशिष्ट्य

18.7.1 बैंकिंग शब्दावली का वैशिष्ट्य

18.7.2 विशिष्ट अभिव्यक्ति प्रयोग

18.7.3 विशिष्ट वाक्य संरचना

18.8 सारांश

18.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

18.10 उपयोगी पुस्तकें

18.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप :

- वाणिज्य–व्यापार में बैंकों के महत्व, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को जान सकेंगे;
- बैंकों में प्रयुक्त साहित्य और उनके भाषागत वैशिष्ट्य से परिचित हो सकेंगे; और
- बैंकों में हिंदी की आवश्यकता और अनुवाद के महत्व को समझ सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

भाषा विचारों के संप्रेषण का माध्यम है और संप्रेषणीयता इसकी प्रथम कसौटी है। मानवीय विचारों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति वाणीगत भाषा में हुआ करती है। भाषा वह सेतु अथवा सोपान है, जो मनुष्य को मनुष्य से, समाज को समाज से और राष्ट्र को राष्ट्र से जोड़ती है। इसलिए एक भाषा में दी गई सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने से यदि स्रोत भाषा का भाव लक्ष्य भाषा में उसी आशय के साथ ठीक–ठीक चला जाए तो हम कहेंगे कि अनुवाद अच्छा हुआ है।

पिछले खंडों में आप प्रशासन, ज्ञान–विज्ञान और विधि के क्षेत्रों में अनुवाद की भूमिका और महत्व आदि के बारे पढ़ चुके हैं। ये वे क्षेत्र हैं, जिनका समाज से संबंध है।

प्रस्तुत इकाई बैंकिंग अनुवाद से संबंधित है। बैंकों का भी वर्तमान समय में समाज के हर वर्ग से किसी न किसी रूप में संबंध है।

बैंकों में भी अनुवाद की विशिष्ट भूमिका है और इसका अपना महत्व है। भारत सरकार की राजभाषा नीति सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों पर भी लागू होती है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा सरकार के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के कारण बैंकों में हिंदी का प्रयोग तथा अनुवाद एक आवश्यकता बन गई है।

इस इकाई में वाणिज्य–व्यापार के क्षेत्र में बैंकों की भूमिका, उनकी प्रशासन व्यवस्था, बैंकों में हिंदी प्रयोग और उनकी विशिष्ट शब्दावली से परिचित कराया जा रहा है।

18.2 बैंकिंग व्यवस्था : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

बैंकिंग व्यवस्था को आज हम लोग जिस रूप में अपने देश में देख रहे हैं, वह भले ही पहले जैसी न रही हो, किंतु प्राचीनकाल में भी पैसे का लेन–देन होता था। 'पूँजी', 'ऋण', 'जमा', 'ब्याज', 'चक्रवृद्धि ब्याज' आदि शब्द आज जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, प्राचीन काल में भी लगभग इन्हीं अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता था। भारत यद्यपि एक धर्म–प्रधान देश है, तथापि हमारे यहाँ आदिकाल से ही अर्थ को भी उचित स्थान दिया गया है – ''अर्थस्य पुरुषो दासः अर्थो दास न कस्यचित'' अर्थात पुरुष अर्थ का दास है अर्थ किसी का दास नहीं। आचार्य भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कहा है कि ''सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ते'' अर्थात सभी गुण ऐश्वर्य(श्री) होने पर ही शोभा पाते हैं।

प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि वैदिक काल में ऋण देने या महाजनी का कार्य होता था, रामायण और महाभारत काल में बैंकिंग एक अच्छा–खासा व्यवसाय बन गया था। स्मृतिकाल में वैश्य समुदाय धन के लेन–देन या बैंकिंग का कारोबार करते थे। अपने समय के बड़े विधि निर्माता मनु ने कहा है कि ब्याज का अर्जन वैश्यों का कारोबार था। स्मृति काल में महाजन (बैंकर) अधिकांश वही कार्य करते थे, जो आज के बैंक करते हैं। जैसे जमा राशि लेना, जमानती या बेजमानती ऋण देना, संकट के समय राजाओं को ऋण देना, राज्य के कोषाध्यक्ष और बैंकर के रूप में काम करना तथा देश की मुद्रा को जारी करना और उसका प्रबंधन करना। वे चल और अचल संपत्ति को गिरवी और बंधक भी रखते थे। देश के एक भाग में प्रयुक्त मुद्रा को देश के दूसरे भाग में प्रचलित मुद्रा से बदलने का काम भी करते थे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था।

ऋग्वेद में मूल का आठवाँ या सोलहवाँ भाग ब्याज के रूप में वसूल करने तथा ऋण समय पर न चुकाने के उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध जातकों, मनुस्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुद्राओं के लेन–देन एवं ब्याज की दरों के विवरण दिए गए हैं। प्राचीन काल में नगर सेठों और जगत सेठों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। मुगल काल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नगर सेठों को राज्य की तरफ से राजस्व तक वसूल करने का अधिकार मिला हुआ था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तो यहाँ तक लिखा है कि यहूदी बैंकर भारतीय बैंकरों के सामने पानी भरते हैं। यूरोप में बैंकिंग का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली से हुआ, जहाँ भूमध्य सागर के तट पर स्थित वेनिस नगर के सेंट मार्क चौक पर यहूदी साहूकार लकड़ी की बेंचों पर विभिन्न मुद्राएँ रखकर लेन–देन तथा मुद्रा परिवर्तन का काम किया करते थे। बेंच या चौकी को इतालवी भाषा में ''बांका'' कहते हैं, जिससे बाद में अंग्रेज़ी शब्द 'बैंक' बना।

'न्यू टेस्टामेंट' में येरूशलम के उपासना गृहों में मुद्रा परिवर्तन के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। इन उपासना गृहों के पुजारी वित्तीय एजेंटों का काम भी करते थे।

हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत फ्रांस तथा इंग्लैंड के साथ–साथ उस समय हुई जब 18वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई तथा कलकत्ता में दो एजेंसी हाउसों की स्थापना की। ये व्यापारिक संस्था के रूप में जनता की जमा राशियों से साहूकारी करते थे। इसके बाद प्रेसीडेंसी बैंक, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक आदि के विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ बैकिंग व्यवसाय आज देश की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए सुदूर गाँवों तक पहुँच गया है।

स्वतंत्रता के पूर्व हमारे यहाँ बैंक केवल समृद्ध तथा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही काम किया करते थे। आम आदमी की हिम्मत बैंकों में जाने की नहीं होती थी। बैकों के कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित था और उनकी सेवाएँ वर्ग विशेष को ही उपलब्ध थीं। यह बैंकिंग "क्लास बैंकिंग" कहलाती थी। इन बैकों की स्थापना बड़े–बड़े उद्योपतियों एवं समाज के गणमान्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने की थी। अतः उद्योगपतियों और व्यावसायिक घरानों के पास धन तथा आर्थिक सत्ता केंद्रित थी। बैंकों की शाखाएँ सिर्फ शहरी इलाकों में थीं तथा दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में इनकी शाखाएँ नहीं थीं। कृषि, लघु उद्योग तथा अन्य ज़रूरतमंद क्षेत्रों को बैकों से ऋण मिलना दूर की बात थी। निजी हाथों में काम कर रहे बैंकों में कई अनियमितताएँ थीं और वे सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों का ही पक्ष लेते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने प्रारंभ में 14 बड़े बैंकों को 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकृत किया। ये बैंक थे – इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक (तत्कालीन यूनाइटेड कमर्शियल बैंक), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 06 अन्य बैंकों का 15 अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बैंक थे – आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया।

वैसे आगे चलकर बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी नजर आती है, जो निरंतर बनी हुई है। उदाहरण के लिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का सितंबर 1993 में पंजाब नैशनल बैंक में विलय।

अंग्रेजों के समय में स्थापित तीन प्रेसीडेंसी बैंकों को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और 1955 में एक अधिनियम पारित कर इसे भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। स्टेट बैंक समूह में अब छः बैंक हैं। ये हैं – स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर।

राष्ट्रीयकरण होने से बैकों के द्वार आम जनता के लिए खुल गए और बैंकों के पास जमा धनराशि का उपयोग राष्ट्र के निर्माण कार्य से जुड़ी परियोजनाओं में होने लगा। बैंकों का रुख सामाजिक बैंकिंग की ओर मुड़ गया, जिसमें समाज का हर वर्ग बैंकों की सहायता से अपना उत्थान कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों का बैंकर है और उसकी भूमिका एक नियामक की है तथा वह देश के केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है। सभी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेशों का पालन करना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गठन के लिए बनाया गया था ताकि : (1) बैंक नोटों को जारी करने पर नियंत्रण रखा जा सके, (2) भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आरक्षित निधियाँ रखी जा सकें और (3) देश की मुद्रा व साख प्रणाली को उसके लाभ के लिए परिचालित किया जा सके। यह अधिनियम 6 मार्च 1934 से लागू हुआ। बदलते समय की मांग को पूरा करने के लिए समय–समय पर इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। मूल रूप से इसका गठन अंशधारकों के रूप में किया गया था। फरवरी 1947 में इसके राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया और 01 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के नियंत्रण वाले केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। संक्षेप में भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं :–

1) निगमन, पूँजी प्रबंधन और बैकों के व्यवसाय को नियंत्रित करने की शक्ति, बैंकिंग करोबार के लिए लाइसेंस देने की शक्ति।

2) केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, जैसे कि बैंक नोटों को जारी करना अैर उनका प्रबंधन, मौद्रिक नियंत्रण, सरकार और बैकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना, अनुसूचित बैकों की नकद आरक्षित निधियाँ रखना, अंतिम उपाय के रूप में उधार दाता होना आदि।

3) विदेशी मुद्रा और विदेशी आरक्षित निधियों का प्रबंधन।

4) साख–सूचना एकत्र करना और प्रस्तुत करना।

5) बैकों और वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय पर्यवेक्षण।

6) आरक्षित निधि, साख निधियों, बैंक दर का प्रकाशन, लेखा परीक्षा और लेखे आदि के संबंध में सामान्य प्रावधान।

7) अधिनियम या उसके अंतर्गत जारी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बैंकों पर दंड लगाना।

18.3 वाणिज्य–व्यापार में बैंकों की भूमिका

वाणिज्य–व्यापार में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की व्यापारिक–वाणिज्यिक स्थितियों को देखते हुए तो कहना यह चाहिए कि बैंकों के बिना वाणिज्य–व्यापार संभव ही नहीं है, भले ही यह राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।

आज वाणिज्य–व्यापार में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। धन का संपूर्ण लेन–देन बैंकों के माध्यम से होता है। बड़े–बड़े कल–कारखानों, औद्योगिक इकाइयों तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़ी तमाम परियोजनाओं में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के हर वर्ग के लिए तमाम तरह की ऋण योजनाएँ हैं। आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, लघु उद्योग ऋण आदि तमाम तरह की ऋण योजनाओं का लाभ

उठाया जा सकता हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकों का समाज के उत्थान के प्रति भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है।

यद्यपि परंपरागत रूप से बैंकों का मुख्य व्यवसाय जमा राशियाँ लेना और उधार देना है, फिर भी बैंकों ने अपने पंख अनेक क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला लिए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :

1) धन उधार देना, जुटाना और प्राप्त करना।

2) प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति के धन उधार देना या अग्रिम देना।

3) विनिमय बिलों, हुंडियों, वचन–पत्रों, कूपनों, ड्राफ्टों, लदान बिलों, रेलवे रसीदों, वारंटो, डिबेंचरों, प्रमाण–पत्रों, शेयरों और अन्य प्रपत्रों तथा हस्तांतरणीय या परक्राम्य या अपरक्राम्य प्रतिभूतियों को आहरित करना, बनाना (मेकिंग), स्वीकार करना, बट्टे खाते में डालना (डिस्काउंटिंग), खरीदना, बेचना, वसूलना और उनमें व्यवहार करना।

4) साख–पत्र और यात्री चैक जारी करना।

5) सोना–चाँदी (बुलियन) खरीदना, बेचना, वसूलना और उनमें व्यवहार करना।

6) विदेशी बैको के नोटों सहित विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री।

7) स्टॉक, निधियाँ, शेयर, डिबेंचर, बंध–पत्रों, दायित्यों, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेशों को हासिल करना, धारण करना, कमीशन पर जारी करना, हामीदारी (अंडर राइटिंग) और व्यवहार।

8) ग्राहकों या अन्य की ओर से बंध–पत्रों शेयरों और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री।

9) ऋणों और अग्रिमों का परक्रामण।

10) सभी प्रकार के बंध–पत्र, शेयर या जमा के तौर पर या सुरक्षा अभिरक्षा या अन्य कार्यो के लिए मूल्यवान वस्तुएँ प्राप्त करना।

11) सुरक्षित जमा वॉल्ट उपलब्ध करना।

12) धन और प्रतिभूतियों की वसूली और प्रेषण।

13) कृषि ऋण, उपज ऋण, स्वयं सहायता समूहों को ऋण देना।

14) समाज के ऐसे तबके को जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से दूर थे उन्हें भी वित्तीय समावेश (फाइनेंशियल इंक्लूजन) योजना के अंतर्गत बैंकिग सेवाएँ देना, शून्य राशि से नो फ्रिल खाते खोलना।

इन सेवाओं के साथ–साथ बैंक अब 'अन्य पक्ष उत्पाद' (थर्ड पार्टी प्रॉडक्ट) भी बेच रहे हैं।

18.4 बैंकों की श्रेणियाँ और प्रशासन व्यवस्था

अब हम कुछ चर्चा बैंकों की प्रमुख श्रेणियों और उनकी प्रशासन व्यवस्था पर भी करेंगे। आइए, सबसे पहले बैंकों की श्रेणियों से परिचित हों।

18.4.1 बैंकों की श्रेणियाँ

बैंकों का मुख्य कार्य–क्षेत्र आर्थिक कार्यकलाप है। उनके इस कार्यकलाप के आधार पर बैंकों को आम तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं – (1) वाणिज्यिक बैंक, और (2) विकास बैंक।

वाणिज्यिक बैंक : भाग 18.2 में जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का उल्लेख किया गया है, वे वास्तव में वाणिज्यिक बैंक हैं। निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं, जो मूलतः वाणिज्यिक बैंक के रूप में ही काम कर रहे हैं। "कर्नाटक बैंक", "एक्सिस बैंक", "वैश्य बैंक" आदि निजी क्षेत्र के बैंक हैं। जहाँ तक राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में अंतर का संबंध है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्वामित्व पूर्णतः भारत सरकार के अधीन होता है और निजी बैंकों का संचालन गैर–सरकारी स्तर पर अथवा सहकारी प्रयासों से किया जाता है।

विकास बैंक : विकास बैंक वे हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष के विकास के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। "राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक" (आई.डी.बी.आई.), "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड), "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" (सिडबी)। विकास बैंकों के अंतर्गत किसी क्षेत्र–विशेष के विकास में वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। इस संदर्भ में, उदाहरण के लिए, "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" (आई.एफ.सी.आई.) और "आवास विकास वित्त निगम" (एच.डी. एफ.सी.) का नाम लिया जा सकता है, जो वास्तव में क्रमशः औद्योगिक और आवास क्षेत्र के विकास में वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं।

18.4.2 बैंकों की प्रशासन व्यवस्था

बैंकों का संगठनात्मक ढाँचा उसकी कारोबार योजना पर निर्भर करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका मिशन, दृष्टि (विजन) या दर्शन क्या है। उदाहरण के तौर पर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य देश के कोने–कोने में और समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना था। साधारणतया, शाखाओं की संख्या और कारोबार की मात्रा के आधार पर भारतीय बैंकों में त्रिस्तरीय (थ्री टियर) प्रशासनिक ढाँचा है, जिसमें शाखाओं के ऊपर क्षेत्र या अंचल या मंडल कार्यालय होते हैं और क्षेत्रीय/अंचल/मंडल कार्यालयों के ऊपर प्रधान कार्यालय होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में एक अतिरिक्त स्तर होता है, जिसे स्थानीय प्रधान कार्यालय कहा जाता है। बैंकों के संगठनात्मक ढाँचे को मोटे तौर पर नीचे बने आरेख से समझा जा सकता है :

निदेशक मंडल
↓
प्रधान कार्यालय
↓
अंचल/क्षेत्र/मंडल कार्यालय
↓
शाखाएँ

बैंकों का प्रबंधन उसके निदेशक मंडल में निहित होता है। निदेशक मंडल में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का कोई उच्चाधिकारी भी एक प्रतिनिधि के रूप में होता है तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सरकार निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित करती है, जो अंशकालिक निदेशक होते हैं। बैंकिंग के विभिन्न पक्षों पर

ध्यान देने के लिए प्रधान कार्यालयों और मंडल या अंचल कार्यालयों में अलग–अलग विभाग एवं अनुभाग होते हैं। कारोबार की मात्रा या परिमाण को ध्यान में रखकर शाखाओं को असाधारण रूप में बड़ी, बहुत बड़ी, मंझोली और छोटी शाखा सें वर्गीकृत किया जाता है। अनेक बैंकों ने बैंकिंग कारोबार के एक विशिष्ट पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट शाखाएँ स्थापित की हैं। उदाहरण के तौर पर, कॉर्पोरेट कारोबार शाखाएँ, ओवरसीज़ शाखाएँ, लघु उद्योग शाखाएँ, सेवा शाखाएँ, वसूली शाखाएँ, पूँजी बाजार सेवाएँ आदि।

शाखा के कारोबार के अनुसार शाखा प्रबंधक के रूप में स्केल–1 से लेकर स्केल–6 तक के अधिकारी होते हैं। मंडल या अंचल में लगभग 50–100 या उससे कुछ अधिक शाखाएँ होती हैं। शाखाओं की संख्या के अनुसार आमतौर पर हर बैंक में बीस से लेकर तीस, चालीस या अधिक अंचल/मंडल कार्यालय होते हैं। इस सारी व्यवस्था में लगातार पत्र–व्यवहार होता है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अनुवाद की भूमिका होती है।

18.5 बैंकिंग साहित्य के प्रकार

हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग का जो स्वरूप है, वह मूलतः अंग्रेजों की ही देन है। अतः स्पष्ट है कि बैंकों का साहित्य, दस्तावेज आदि भी मूलतः अंग्रेजी में है और इन्हीं का अनुवाद हिंदी में किया जाता है। बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय और वाणिज्यिक लेन–देन का कार्य होता है। यह वह क्षेत्र है जिसका मुख्य रूप से ग्राहकों से सीधा संबंध होता है। इसके अलावा, इसमें बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित प्रशासनिक कार्य भी शामिल हैं। इस दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त सपूर्ण बैंकिंग साहित्य को दो भागों में बाँटा जा सकता है – (1) ग्राहकों या ग्राहक सेवा से संबंधित; और (2) बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित साहित्य।

उपर्युक्त दोनों भागों के संपूर्ण बैंकिंग साहित्य को अगले पृष्ठ पर दिखाए गए आरेख से भली–भाँति समझा जा सकता है :

18.6 बैंकों में हिंदी प्रयोग और अनुवाद की आवश्यकता

राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंकों के दस्तावेज अंग्रेजी में होते थे। बैंकों के ग्राहक तब धनी अवश्य होते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे पढ़े–लिखे भी हों। जब बैंकर को ग्राहक से अधिक मात्रा में धन मिलने की संभावना रहती थी और ग्राहक को आवेदन–पत्र भरना नहीं आता था, तब बैंकर स्वयं उनका आवेदन–पत्र भर दिया करता था। बैंक के नियमों से ग्राहक के अपरिचित होने पर बैंकर उसे हिंदी या अन्य स्थानीय भारतीय भाषा में नियम समझा दिया करता था। जब ग्राहक किसी भी भाषा के दस्तावेज आदि देता था तब बैंकर अंग्रेजी में अनुवाद कर लेता था और आवश्यक कागज़ात भरने में ग्राहक की सहायता किया करता था। इस प्रकार बैंक के कारोबार को बढ़ाने के लिए, बैंक के लाभ में वृद्धि करने और बैंक को अच्छा दर्जा दिलाने के लिए बैंकर उस जमाने में भी अनुवाद कर लेता था। अंतर केवल इतना था कि वह अंग्रेजी से हिंदी या प्रादेशिक भाषा में अनुवाद करने के बजाए, प्रादेशिक भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेता था, क्योंकि उस समय बैंकों के सारे कार्य अंग्रेजी में ही होते थे। अपनी सुविधा के लिए बैंकर अनुवाद की जिम्मेदारी स्वयं लेता था। उस समय अनुवादकों अथवा भाषा अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई। बैंकर के लिए किसी भाषा

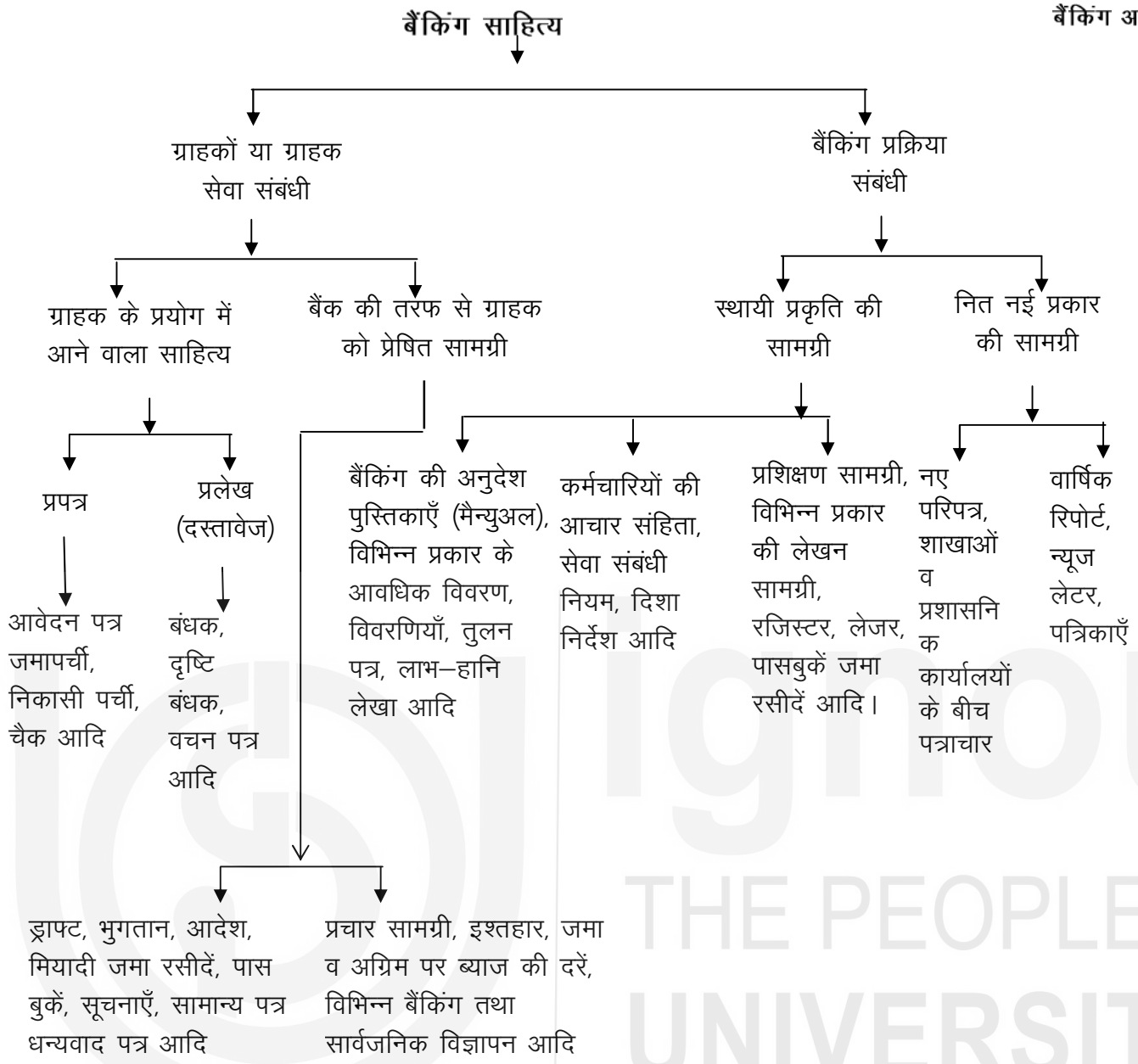

नीति का पालन अनिवार्य नहीं था, क्योंकि सरकार भी अंग्रेजी में काम करती थी और बैंकर भी कारोबार संबंधी अपना समस्त पत्राचार अंग्रेजी में किया करते थे। निजी क्षेत्र में बैंक होने के कारण बैंकर का ध्यान हमेशा अपना कारोबार बढ़ाने की ओर ही लगा रहता था।

हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को संघ सरकार अर्थात् केंद्र सरकार के कार्यालयों की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 में बना था और राजभाषा नियम, 1976 में बनाए गए थे। देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था और शेष अन्य 06 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम (2) में कहा गया है कि संघ सरकार की राजभाषा नीति केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, आयोगों, ट्रिब्यूनलों आदि के साथ–साथ बैंकों पर भी लागू होगी। इस नियम के कारण देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी राजभाषा नीति की परिधि में आ गए।

आज बैंकों का संबंध समाज के हर वर्ग से है। कृषक, दस्तकार, लघु–उद्यमी, नौकरी पेशा, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी अथवा उद्योगपति, विद्यार्थी आदि सभी किसी–न–किसी बैंक के ग्राहक हैं। कई ग्राहक पढ़े–लिखे तो कई उसमें असमर्थ भी होते हैं। अतः ग्राहकों को हिंदी या भारत की अन्य भाषाओं में समझाना ज़रूरी है। राष्ट्रीयकरण से बैंकरों के द्वार जनता के लिए खुल गए हैं। देश के कोने–कोने में बैंकों की शाखाएँ खुल रही हैं और निर्धनतम व्यक्ति भी अब बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है और वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकता है। ग्राहक सेवा में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बैंक एक प्रकार से सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में हर वर्ग के ग्राहक को अपने साथ जोड़े रखने में हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

आज बैंकिंग जगत में जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा का वातावरण है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार ने बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्द्धा को और अधिक बढ़ा दिया है। बाज़ार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ–साथ तमाम निजी क्षेत्र के नई पीढ़ी के तथा विदेशी बैंक भी अपना कारोबार कर रहे हैं। इन सभी बैंकों में कमोबेश अलग–अलग नामों से एक ही प्रकार की सुविधाएँ एवं उत्पाद होते हैं। ऐसे में उत्तम ग्राहक सेवा ही एक ऐसा अस्त्र है, जो ग्राहकों को बाँध सकने में सक्षम है। उत्तम ग्राहक सेवा के लिए भारत में हिंदी या भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। यही कारण है कि निजी क्षेत्र वाले बैंक भी, जिन पर सरकार की राजभाषा नीति लागू नहीं होती, ग्राहकों को लुभाने के लिए अपने साइन बोर्ड, खाता वितरण आदि हिंदी में भी बनवाने लगे हैं। फोन पर पूछताछ के लिए हिंदी में भी जानकारी देने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। उनके विज्ञापन भी हिंदी में देखे जा सकते हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि बैंक कर्मियों को समय–समय पर बैंकिंग संबंधी तमाम विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें भी हिंदी बोली जाती है और प्रशिक्षण सामग्री भी हिंदी में उपलब्ध कराने का यथासंभव प्रयास होता है। हिंदी कार्यशालाओं में स्टाफ सदस्यों को हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें आंतरिक कामकाज में प्रयुक्त दस्तावेज़ों में हिंदी का प्रयोग करना बताया जाता है। कंप्यूटरों एवं ए.टी.एम. में भी हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था है। ये सभी प्रयास भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत ग्राहकों की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं।

18.7 बैंकिंग साहित्य का भाषागत वैशिष्ट्य

बैंकिंग साहित्य की भाषा का अपना स्वरूप है, वैशिष्ट्य है। इस भाषा को विशिष्ट प्रयोजन की भाषा (Language for specific purposes) या "प्रयोजनमूलक भाषा" (Functional language) कहते हैं। प्रयोजनमूलक भाषा के अपने–अपने क्षेत्र हैं। जैसे, विज्ञान की भाषा, वाणिज्य–व्यापार की भाषा, साहित्यिक भाषा, कार्यालयी भाषा आदि। इसी प्रकार बैंकिंग की भी अपनी भाषा है।

प्रयोजनमूलक भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्ट "प्रयुक्ति" (register) होती है। इसे हम विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, विशिष्ट अभिव्यक्तियों और विशिष्ट वाक्य संरचना के स्तरों पर देख सकते हैं। बैंकों में प्रयोग होने वाले साहित्य अथवा सामग्री की अपनी भाषागत विशिष्टता है। यह साहित्यिक भाषा की शैली से नितांत भिन्न होती है। यह साहित्यिक भाषा की भाँति भाव और व्याकरण प्रधान नहीं होती। यह अंतर बैंकिंग साहित्य की भाषा को साहित्यिक भाषा से अलग एवं विशिष्ट पहचान देता है।

प्रयोजनमूलक होने पर भी बैंकिंग साहित्य की भाषा, आम बोलचाल की भाषा जैसी एकदम सरल नहीं होती है। इसका कारण यह है कि बैंक भी मूलतः होते तो कार्यालय ही हैं। स्वाभाविक है कि कार्यालय में प्रयुक्त भाषा का संस्कार कार्यालयी ही होगा। इसमें कार्य–शैली के विभिन्न स्तरों पर, अलग–अलग प्रकार के कार्यों–कार्रवाइयों के लिए अलग–अलग तरह के शब्द निर्धारित होते हैं, अलग–अलग तरह की अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। यही अंतर बैंकिंग साहित्य की भाषा को आम बोलचाल की भाषा से अलग एवं विशिष्ट पहचान देता है।

बैंकों की भाषा में प्रशासनिक अथवा कार्यालय भाषा और बोलचाल की भाषा का मिला–जुला प्रयोग देखने को मिलता है। इसका मूलभूत कारण यह है कि बैंकों की आंतरिक कार्य–प्रणाली किसी भी प्रशासनिक कार्यालय की कार्य–प्रणाली के ही समान होती है। किंतु इतना तो अवश्य है कि बैंकिंग प्रक्रिया साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा की अगर ग्राहकों के प्रयोग में आने वाली सामग्री की भाषा से तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि यह भाषा प्रायः क्लिष्ट होती है।

ग्राहकों के प्रयोग में आने वाले प्रपत्रों, आवेदन–पत्रों, जमा पर्ची और निकासी पर्ची आदि में भाषा की सरलता–सुबोधता पर विशेष ध्यान दिया जाता है जबकि बैंकिंग विज्ञापनों आदि की भाषा चुटीली एवं ध्यानाकर्षक क्षमता वाली होती है। दूसरी ओर, ग्राहक सेवा में इस्तेमाल होने वाले बंधक, वचन–पत्र जैसे दस्तावेज–फार्म आदि का स्वरूप विधिक प्रकृति का होता है। वहीं, बैंकिंग प्रक्रिया और प्रणाली से संबंधित साहित्य की भाषा, प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य को समाहित किए हुए होती है, स्वयं में औपचारिकता–गंभीरता लिए हुए होती है।

बैंकिंग के क्षेत्र में हुए विस्तार के परिणामस्वरूप हमें व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विनिमय बैंक, भू–विकास बैंक, सहकारी बैंक आदि विभिन्न प्रकार के बैंक नजर आते हैं। इनके मूल कार्यों में जमा स्वीकार करना, वित्तीय लेन–देन करना, ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराना, मुद्रा विनिमय और देश के व्यापारिक कार्यों में आर्थिक सहायता करना है। इन प्रणालियों के अंतर्गत बैंक बचत खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता आदि विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जाती है। बैंकों के प्रकारों और कार्य–व्यवहार में विविधता के कारण हमें बैंकिंग साहित्य में भाषा–प्रयोग के स्तर पर भी विविधता दिखाई देती है। बैंकिंग साहित्य की भाषा के वैशिष्ट्य को शब्दावली, अभिव्यक्तियों एवं वाक्य–रचना के संदर्भ में रेखांकित किया जा सकता है। आइए, अब हम इन पक्षों के संदर्भ में बैंकिंग साहित्य पर विचार करें।

18.7.1 बैंकिंग शब्दावली का वैशिष्ट्य

बैंकिंग साहित्य की भाषा का अपना एक विशिष्ट स्वरूप है। शब्दावली के स्तर पर देखें तो बैंकिंग संबंधी पारिभाषिक शब्दावली जटिल नहीं है। इसमें बैंकिंग संबंधी हिंदी और अंग्रेजी के अनेक प्रचलित शब्दों को यथावत व्यवहृत किया जाता है। हिंदी में ये शब्द लिप्यंतरित रूप में प्रयुक्त होते हैं। "बैंक", "ड्राफ्ट", "वाउचर", "चैक", "बिल", "गारंटी", "प्रीमियम", "रजिस्टर", "पासबुक", "टोकन" आदि शब्द इसी प्रकार के लिप्यंतरित रूप में प्रयुक्त होने वाले आगत शब्द हैं।

इनके अलावा, ऐसे भी शब्द–प्रयोग देखने को मिलते हैं, जो परंपरागत देशी बैंकिंग व्यवस्था की शब्दावली से लिए गए हैं और स्वयं में पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। "फुटकर", "कर्ज", "चुंगी", "लेनदार", "देनदार", "पट्टा", "ब्याज", "साहूकार", "बीजक",

"बट्टा", "घाटा", "बेबाकी पत्र", "हुंडी", "जमा", "नामे", "गिरवी", "रेहन", "खाता", "बंधक", "चालान" आदि देशी बैंकिंग प्रणाली से लिए गए हैं।

बैंकिंग साहित्य में "आबंटन", "संचय", "निधि", "धारक", "विलेख", "अवमूल्यन", "स्वामित्व", "संसाधन" आदि जैसी संस्कृत से गृहीत शब्दावली भी प्रयुक्त होती देखी जा सकती है। इसके अलावा, "बजट", "पेशगी", "मुआवजा", "पार्सल", "अमानत", "खपत", "बकाया", "बैंकर", "दावा" आदि जैसे अरबी–फारसी या अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्द भी मिलते हैं। बैंकिंग शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों के शब्दानुवाद भी मिलते हैं। वित्तीय (financial), वार्षिक लेखा (annual account), वित्तीय संकट (financial crisis), धनादेश (money order), क्षेत्र कार्य (field work), मुक्त अर्थव्यवस्था (free economy), निर्यातोन्मुखी (export-oriented), कुल भार (gross weight), शीर्ष–टिप्पणी (head-note), समान वितरण (equal distribution), शीर्ष–नियंत्रण (head-control), खुला खाता (open account), मुद्रा मूल्य (money value) आदि शब्द इसी शब्दानुवाद के उदाहरण हैं।

बैंकिंग साहित्य की शब्दावली की यह विशेषता देखने को मिलती है कि इसमें संस्कृत के साथ–साथ प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दोनों प्रकार के शब्दों का एक–दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, "क्षति–नुकसान", "संपत्ति–जायदाद", "मुआवजा–क्षतिपूर्ति", "कारोबार–व्यवसाय", "अग्रिम–पेशगी", "मूल्य–कीमत", "शेष–बाकी" आदि। साथ ही, कुछ बैंकिंग शब्दावली "संकर शब्दों" का रूप लिए हुए है। उदाहरण के लिए "शेयरधारी", "बैंक उधार", "चुकौती पत्र", "रद्द नोट", "नीलाम कमीशन", "नकदी प्रमाण–पत्र" आदि।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्राहकों के प्रयोग में आने वाली सामग्री की भाषा में प्रयुक्त शब्दावली सहज तथा बोलचाल के अधिक नजदीक होती है।

18.7.2 विशिष्ट अभिव्यक्ति प्रयोग

ग्राहकों से संबंधित व्यावसायिक कामकाज और बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित साहित्य की भाषा में कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इनमें से अधिकांश अभिव्यक्तियाँ मूलतः प्रशासनिक कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली अभिव्यक्तियाँ ही होती हैं। लेकिन कुछ बैंकों की अपनी विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं। ये विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ बैंकिंग साहित्य की भाषा को वैशिष्ट्य प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती हैं। जिस प्रकार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scienitific and Technical Terminology) ने प्रशासन के क्षेत्र में कामकाज के लिए "प्रशासनिक शब्दावली" (Glossary of Administrative Terms) में अभिव्यक्तियों की सूची को द्विभाषी रूप में भी शामिल किया है, उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में प्रयुक्त विशिष्ट अभिव्यक्तियों की द्विभाषी सूची तैयार की है। सभी बैंकों द्वारा इस सूची का प्रयोग किया जाता है। वे अपने–अपने बैंकों में कार्यरत कार्मिकों के प्रयोग के लिए इन अभिव्यक्तियों की सूचियों को उपलब्ध कराते हैं। बैंकिंग अभिव्यक्तियों के कुछ उदाहरण द्विभाषी रूप में इस प्रकार हैं :

It will be considered	इस पर विचार किया जाएगा
cash received	नकद प्राप्त

too late for	अधिक देर हो चुकी है
account closed	खाता बंद
equalization of assessment	कर निर्धारण में समानता लाना, समकरण
tax deducted at source	स्रोत पर काटा गया कर
sealed	मोहर लगा दी गई
erosion in repayment ethics	चुकौती आचार में गिरावट
shall be liable to pay	अदा करना पड़ेगा
gross stock of hire and leased assests	किराए तथा पट्टे पर दी गई आस्तियों/परिसंपत्तियों का सकल स्टॉक
I am directed to inform you	मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ
under his signature and seal	उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित
evergreening of balance sheet	तुलन–पत्र का सदाबहारीकरण, तुलन–पत्र को सतत अच्छा बनाए रखना
holder's right in respect of the security	प्रतिभूति के संबंध में धारक का अधिकार

18.7.3 विशिष्ट वाक्य संरचना

बैंकिंग साहित्य की विशिष्ट वाक्य संरचना उसे विशिष्टता प्रदान करती है। इस पाठ्यक्रम की इकाई 1 के भाग 1.3.2 में आप यह अध्ययन कर चुके हैं कि सरकारी तंत्र में अधिकारों का सुनिश्चित क्रम में वितरण होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करता है, अपने से निम्न अधिकारी को आदेश देता है या सरकार के निर्णयों के संबंध में सूचना देता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चूँकि सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता इसलिए वह व्यक्तिगत रूप में कुछ भी न कहकर निर्वैयक्तिक रूप में कहता–लिखता है। उनके द्वारा प्रयुक्त "पत्र भेजा जा रहा है" जैसा वाक्य इसी निर्वैयक्तिकता का उदाहरण है। यह भी सही है कि कार्यालय में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मूलतः प्रशासन का अंग होता है, इसीलिए कार्यालय के सभी पत्रादि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं।

बैंकिंग साहित्य की भाषा की वाक्य संरचना भी इसी प्रकार की विशिष्टता लिए हुए होती है। बैंकिंग साहित्य की भाषा में अधिकांश वाक्यों की रचना निर्वैयक्तिक होती है क्योंकि इसमें कथन व्यक्ति–सापेक्ष नहीं होता, वह व्यक्ति–निरपेक्ष अर्थात् कर्तृवाच्य (active voice) विहीन होता है। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में कर्मवाच्य (passive voice) की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, बैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य और उनका हिंदी अनुवाद देखिए :

a) Depositors are requested to keep their pass-books in a place of safety. The bank will not be responsible for any loss or fraudulent withdrawal arising out of the loss of a pass book due to a depositor's neglect.

जमाकर्ता से निवेदन है कि वे पासबुक को सुरक्षित स्थान में रखें। जमाकर्ता की असावधानी से पासबुक के खो जाने पर हुई क्षति या धोखे से निकासी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

b) The Bank will not hold itself responsible for the payment, through an oversight, or in the hurry of business, or cheques which may have been advised as lost or mislaid. It will do all in its power to protect the public, but does not guarantee the non-payment of such cheques.

जिन चेकों के खो जाने या यहाँ–वहाँ हो जाने की सूचना दी गई हो उनके गलती से या कारोबार की जल्दीबाजी में अदायगी हो जाने पर बैंक अपने आपको उनकी अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। बैंक जनता को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगा, परंतु वह ऐसे चेकों की अदायगी न किए जाने की कोई गारंटी नहीं देता है।

c) We are advised by our ..... branch that cheque leaves bearing numbers ..... to ..... are found missing from their branch.

हमें अपनी ..... शाखा से सूचना मिली है कि उनकी शाखा से ..... से ..... तक की संख्या वाली चेक पर्चियाँ गुम हो गई हैं।

d) Branches will please make a note of the numbers in their books in order to exercise cautions, should the cheques be presented to them for payment.

शाखाएँ कृपया इन नंबरों को अपनी बहियों में नोट करें ताकि उक्त चेक अदायगी हेतु प्रस्तुत किए जाने पर सावधानी बरती जा सके।

e) We enclose a copy of letter received by Indian Bank Association from a member bank, for the information and guidance of all branches.

हम, सभी शाखाओं की सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु भारतीय बैंक संघ को एक सदस्य बैंक से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर रहे हैं।

f) Branches are requested to honour the Interest Warrants issued by the captioned company on presentation, if otherwise in order.

शाखाओं से अनुरोध है कि वे उक्त कंपनी द्वारा जारी किए गए ब्याज वारंटों को प्रस्तुत किए जाने पर तथा अन्यथा ठीक पाए जाने पर सकारें।

g) As you may be aware, facilities under the Bills Rediscounting Scheme are available for purchase of Chassis, or complete vehicle.

जैसा कि आपको विदित है, बिलों को पुनः भुनाने की योजना के अंतर्गत चेसीस या पूर्ण रूप से तैयार वाहन की खरीद हेतु, सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

h) This Circular is sent in duplicate, one copy of which should be displyed on your branch notice board conspicuously to bring the above contents for the information of Central / Civil / Defence / Railway pensioners.

परिपत्र की दो प्रतियाँ भेजी जा रही हैं, एक प्रति को शाखा के नोटिस बोर्ड पर इस तरह लगा दें ताकि केंद्रीय सिविल/रक्षा/रेलवे पेंशनभोगियों को उपर्युक्त विषय की सूचना मिल जाए।

किंतु, जहाँ तक बैंकिंग प्रक्रिया और प्रणाली से संबंधित साहित्य का संबंध है, इस प्रकार के साहित्य में प्रायः क्लिष्ट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इनमें प्रायः लंबे–लंबे वाक्य प्रयोग देखने को मिलते हैं। वे कई–कई पंक्तियों वाले तक भी होते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अंग्रेजी मूल और उसका हिंदी अनुवाद देखिए :

मूल :

I/We have read the terms and conditions for providing the products/services opted by me/us and I/We agree to abide by and be bound by them as they are in force now and from time to time in force for such products/facilities. I/We request you to provide me/us the initial password/PIN which I/We shall change periodically for maintaining secrecy of my/our account level information. I/We undertake to keep my password/PIN with myself/ourselves without giving any room for disclosure of the same to any third party. Further, I/We shall be responsible for any disclosure of my/our password/PIN to any third party and the Bank shall not be held responsible for any loss/damage caused to me/us on account of such disclosures. I/We shall be availing this Product/Service at my/our request without any liability, either expressed or implied, to the Bank. I/We have read/understood the Bank's rule pertaining to the account/deposit scheme opted by me/us and the terms and conditions governing the same. I/We agree to comply with and be bound by them as they are in force and from time to time in force for such accounts/deposits/products/services. The Bank may use the details furnished above for opening any other account for me/us in future with the Bank.

हिंदी अनुवाद :

मुझे/हमें जो उत्पाद/सेवाएँ चाहिए, उन्हें देने संबंधी शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली हैं और मैं/हम ऐसे उत्पादों/सुविधाओं के लिए उनका अनुपालन करने और उनसे बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं, क्योंकि अब वे लागू हैं और समय–समय पर लागू होंगी। मेरा/हमारा अनुरोध है कि मुझे/हमें प्रारंभिक संकेत शब्द/निजी पहचान संख्या (पिन) प्रदान करें, जिन्हें मैं/हम मेरे/अपने खाते से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए समय–समय पर बदलता/बदलती/बदलते रहूँगा/रहूँगी/रहेंगी। मैं/हम वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम अपना संकेत शब्द/निजी पहचान संख्या (पिन) बिना किसी अन्य पक्ष को बताए अपने पास रखूँगा/रखूँगी/रखेंगे। इसके अतिरिक्त, मैं/हम अपने संकेत शब्द/निजी पहचान संख्या (पिन) को किसी अन्य पक्ष के सामने खुलासा करने के लिए जिम्मेदार होऊँगा/हाऊँगी/होंगे और ऐसे खुलासे के कारण मुझे/हमें होने वाली हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। मैं/हम इस उत्पाद/सेवा का उपयोग मेरे/अपने अनुरोध पर बैंक की किसी जिम्मेदारी, व्यक्त अथवा इंगित के बिना करूँगा/करूँगी/करेंगे। मैंने/हमने जो खाता/जमा योजना का विकल्प दिया है, उससे संबंधित बैंक के नियमों और उसे संचालित करने वाली शर्तों को पढ़ समझ लिया है। मैं/हम ऐसे खातों/जमा राशियों/उत्पादों/सेवाओं के लिए उनका अनुपालन करने और उनसे बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं, क्योंकि अब वे लागू हैं और ऐसे खातों/जमा राशियों/उत्पादों/सेवाओं के लिए समय–समय पर लागू होंगी। भविष्य में मेरे/हमारे लिए बैंक में कोई अन्य खाता खोलने के लिए बैंक ऊपर दिए गए विवरणों का उपयोग कर सकता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग साहित्य की भाषा, प्रशासनिक और व्यावसायिक भाषा के मिले–जुले प्रयोग का प्रमाण है। बैंकों की आंतरिक कार्य–प्रणाली उसे प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य को बनाए रखने को मजबूर करती है और बैंकों के ग्राहकों से जुड़े व्यावसायिक लेन–देन व्यावसायिक भाषा का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसीलिए बैंकिंग साहित्य की भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, अभिव्यक्तियाँ और वाक्य–रचनाएँ काफी सहज एवं बोलचाल की भाषा के निकट देखी जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकिंग सेवा प्रयोक्ता वर्ग के अनेक स्तर होते हैं। इसलिए उन सभी की सुविधा और सहजता के लिए बैंकिंग साहित्य की भाषा, शब्दावली और वाक्य–विन्यास विशिष्ट शैली में निरूपित किया जाता है। कथ्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भाषा की सहजता ही बैंकिंग साहित्य की भाषा की कसौटी कही जा सकती है।

18.8 सारांश

इस इकाई का अध्ययन करने से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि बैंकिंग व्यवसाय में अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र से संबंधित साहित्य अंग्रेजी में ही है और जो नया लिखा भी जाता है, उसकी संकल्पना भी अंग्रेजी में की जाती है। इसलिए अनुवादक के लिए बैंकिंग साहित्य का हिंदी में अनुवाद करना एक चुनौती भरा कार्य है। विधिक एवं तकनीकी साहित्य में शब्दशः अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। अनुवाद करते समय हमें उसके लक्ष्य समूह या पाठक वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्राहकों के लिए तैयार की जानी वाली सामग्री में सरल, सुबोध एवं प्रचलित शब्दों का उपयोग किया जाए तो अधिक अच्छा होगा। अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अनुवाद में स्वीकार करने पर संकोच नहीं करना चाहिए किंतु यह भी ध्यान रखा जाए कि सरलता के नाम पर हिंदी या संस्कृत के अधिक मान्य, सटीक एवं प्रचलित शब्दों की उपेक्षा न की जाए। शब्द यदि प्रयोग में आ जाते हैं तो सरल भी लगते हैं और प्रचलित भी हो जाते हैं। जैसे रेलवे में 'तत्काल आरक्षण' आज पूरे देश में एक संदर्भ विशेष के लिए स्वीकार हो गया है। इसी प्रकार यदि ऐसा लगता है कि किसी शब्द के अर्थ में पाठक को कठिनाई हो सकती है तो उसके अंग्रेज़ी शब्द को भी कोष्ठक में देवनागरी लिपि में लिख दें। बड़े–बड़े जटिल वाक्यों को तोड़कर छोटे–छोटे वाक्यों में अनुवाद करें तो वह काफी प्रभावकारी बन जाएगा। विज्ञापनों की भाषा में स्वतंत्रता ली जा सकती है।

अनुवाद एक ऐसी कला है जो अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है और अपने में कभी भी पूर्ण नहीं होता। किंतु स्रोत एवं लक्ष्य भाषा की अच्छी जानकारी तथा विषयवस्तु के ज्ञान से अच्छा अनुवाद किया जा सकता है। किंतु यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही हर विधा में पारंगत नहीं होता। अनुवाद के मामले में भी यही सत्य है। अतः लक्ष्य एवं स्रोत भाषा की जानकारी और निरंतर साधना के साथ अनुवाद करते रहने से महारत हासिल की जा सकती है। यह भी प्रयास होना चाहिए कि अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करते समय "द्वारा" शब्द का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके न किया न जाए। इससे अनुवाद अच्छा बन पड़ता है। आज कार्यालयों के अनुवादों में "द्वारा" शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, जो अंग्रेज़ी के कर्म वाच्य (Passive Voice) के प्रभाव से है। जैसे कि 'हमारे कार्यालय द्वारा लिखा गया पत्र' या "हमारे द्वारा भेजा गया पत्र"। यह मूल अंग्रेजी से सीधे लिया गया है, जो वाच्य व्यवस्था से प्रेरित है और अटपटा लगता हैं। आम बोलचाल में भी हम सीधे ही बोलते हैं। जैसे "हमने भेजा", "हमने

खाना खाया" आदि न कि "हमारे द्वारा भेजा गया", "हमारे द्वारा खाना खाया गया"। अतः "हमारे कार्यालय का पत्र" या "हमारा भेजा गया पत्र" उपर्युक्त उदाहरणों का अच्छा अनुवाद माना जाएगा।

बैंकिंग व्यवसाय में भी यही बात लागू होती हैं। हाँ, जहाँ तकनीकी या विधिक साहित्य का अनुवाद हो तो उनकी तकनीकी अथवा विधिक शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि अनुवाद में एकरूपता बनी रहे। अनुवाद करते समय शब्दकोशों, शब्दावलियों को भी अवश्य देखें। कहीं–कहीं एक ही शब्द के मिलते–जुलते तमाम अर्थ होते हैं। भिन्न–भिन्न अर्थछटाओं में से सटीक अर्थ वाले शब्द को छाँटना एक दक्ष एवं कुशल अनुवाद का प्रमुख लक्षण है, जो बड़ी साधना से आता है।

18.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. भारत में प्राचीनकाल में कैसी बैंकिंग व्यवस्था थी? चर्चा कीजिए।
2. वाणिज्य–व्यापार में बैंकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
3. बैंकिंग साहित्य के भाषागत वैशिष्ट्य को रेखांकित कीजिए।
4. बैंकों में हिंदी प्रयोग की क्या स्थिति है और अनुवाद की क्यों आवश्यकता है?
5. बैंकिंग साहित्य के अनुवाद में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

18.10 उपयोगी पुस्तकें

––, *इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और कमर्शियल बैंकिंग*, मुंबई, भारतीय बैंकर संस्थान।

––, *बैंकिंग के सिद्धांत*, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस।

––, *बैंक : सामान्य प्रबंधन*, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस।

––, *बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)*, मुंबई, भारतीय रिज़र्व बैंक।

––, *बैंकिंग पारिभाषिक कोश*, भारतीय रिज़र्व बैंक।

––, *बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन* (त्रैमासिक पत्रिका), भारतीय रिज़र्व बैंक।

––, *विधि शब्दावली*, नई दिल्ली, विधायी विभाग, राजभाषा खंड; विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

तिवारी, भोलानाथ एवं द्विवेदी, श्रीनिवास. *बैंकों में अनुवाद की समस्याएँ*, दिल्ली, आर्य प्रकाशन मंडल।

कुंचितपादम, सीता, *बैंकों में अनुवाद प्रविधि*, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।